दैनिक भारत कि

तामीर

संपादक - काझी मकदूम शफीउद्दीन hinditameer@gmail.com

Editor in chief- Qazi makhdoom shafiuddin

बीड (महाराष्ट्र) | वर्ष-१ ला | अंक-३५७ वा | गुरूवार ७ ऑगस्त २०२५ | RNI TITLE CODE:MAHHIN11405/120/1/3/2024 | किमत : २ रूपये | पन्ने - ४

बीड नगर परिषद के मुख्य अधिकारी के रूप में शैलेश फड़से ने कार्यभार संभाला इस अवसर पर उनका स्वागत क्रेडा के राज्य अध्यक्ष सुरेंद्र कास्ट, सदस्य अतुल सिंघानी व अन्य लोगों द्वारा किया गया। इस मौके पर क्रेडा की ओर से बीड़ शहर के ओपन स्पेस (खुली जगहों) पर वृक्षारोपण की अनुमति देने की मांग भी की गई।

जिले के सर्वांगीण विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी: उपमुख्यमंत्री व बीड के पालक मंत्री अजित पवार

सहकारी संस्थाओं में अटकी जमा राशि जमाकर्ताओं को शीघ्र लौटाई जाए

विद्युत वितरण प्रणाली और खेल विकास की भी समीक्षा

बीड, ०७ अगस्त(संवाददाता):

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और बीड जिले के पालक मंत्री अजित पवार ने कहा कि बीड जिले के समग्र विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। जिले में कई जमाकर्ताओं की जमा राशि विभिन्न सहकारी संस्थाओं में अटकी हुई है। इन जमाओं को वापस दिलाने के लिए सहकार विभाग, पुलिस और जिला प्रशासन को समन्वय से कार्य करना चाहिए। अब तक इन संस्थाओं के खिलाफ लगभग १३२ मामले दर्ज हो चुके हैं, जिनमें १२८ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। शेष आरोपियों के खिलाफ भी शीघ्र कार्रवाई की जाए, ऐसे निर्देश पवार ने दिए।

पवार बीड जिला अधिकारी कार्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक में बोल रहे थे। बैठक में उन्होंने सहकारी संस्थाओं की जांच, जिला विद्युत वितरण नियंत्रण समिति और जिला क्रीड़ा संकुल समिति के कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान विधायक सतीश चव्हाण, विक्रम काळे, प्रकाश सोलंके, संदीप क्षीरसागर, विजयसिंह पंडित, सचिव राजेश देशमुख, सहकार आयुक्त दीपक तावरे, आदिवासी विकास सचिव विजय वाघमारे, जिलाधिकारी विवेक जॉनसन, उएज जितीन रहमान, पुलिस अधीक्षक नवनीत कॉवत सहित कई अधिकारी उपस्थित थे।

जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा पर जोर

पवार ने कहा कि गरीबों की जमाएं जल्द से जल्द लौटाई जाएं, इसके लिए संबंधित विभाग मिलकर कार्य करें। ऐसी संस्थाओं की संपत्तियों को जब्त करने के प्रस्ताव गृह विभाग को तुरंत भेजे जाएं। मल्टीस्टेट सहकारी संस्थाओं के मामलों में आवश्यकता अनुसार केंद्र सरकार से भी अनुरोध किया जाएगा। उन्होंने सहकार आयुक्त को निर्देश दिया कि दिवालिया संस्थाओं के लिए अधिकृत अधिकारी नियुक्त किए जाएं।

इसके अलावा, बीड जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के कामकाज की भी समीक्षा की गई। अन्य वित्तीय संस्थाओं में भविष्य में धोखाधड़ी न हो, इसके लिए विशेष ऑडिट किया जाए।

विद्युत वितरण व्यवस्था को मजबूती

पवार ने कहा कि जिले की बिजली व्यवस्था को भविष्य की जरूरतों को देखते हुए सशक्त किया जाए। इसके तहत उन्होंने स्थापित और प्रस्तावित पारेषण प्रणाली, उपकेंद्रों की क्षमता वृद्धि, मुख्यमंत्री सौर कृषि योजना, पीएम सूर्य घर योजना, और सुधारित वितरण क्षेत्र योजना की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिया कि मागेल त्याला सौर कृषी पंप योजना के अंतर्गत जिन किसानों ने आवेदन किया है, उन्हें ६ महीने के भीतर बिजली कनेक्शन प्रदान किया जाए।

खेल विकास को मिलेगा बल

जिला क्रीड़ा संकुल के २४.९९ करोड़ रुपये के संशोधित प्रशासकीय अनुमोदन को विशेष रूप से स्वीकृति दी गई है। पवार ने कहा कि खेल कार्यों की गुणवत्ता में कोई समझौता नहीं हो, और जिले में खेल संस्कृति का समुचित विकास हो, इस पर प्रशासन ध्यान दे।

चैटबॉट और सेवा मित्र सुविधा का उद्घाटन

जिलाधिकारी कार्यालय की ओर से आम जनता के लिए एक क्लिक में सरकारी योजनाओं की जानकारी देने हेतु चैटबॉट व सेवा मित्र पहल की शुरुआत की गई। इस सुविधा के तहत, नागरिकों को योजनाओं की पात्रता, आवश्यक दस्तावेज, आवेदन की प्रक्रिया आदि की जानकारी एक ही स्थान पर और अद्यतन रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही, सेवा मित्र के माध्यम से प्रमाणपत्र घर बैठे पहुंचाने की योजना भी शामिल है।

डॉक्टरों, व्यापारियों और उद्यमियों से संवाद

उपमुख्यमंत्री पवार ने जिले के डॉक्टरों और खच- (इंडियन मेडिकल एसोसिएशन) के पदाधिकारियों से भेंट कर उनकी समस्याओं पर चर्चा की। खच- अध्यक्ष डॉ. अनंत मुले और सचिव डॉ. अमोल गीते ने प्रमुख मुद्दे रखे, जिन्हें जल्द सुलझाने का आश्वासन दिया गया। इसी तरह व्यापारियों और उद्यमियों से भी संवाद हुआ। पवार ने सभी से उद्योगों को बढ़ावा देने वाले वातावरण के निर्माण में सहयोग करने का आग्रह किया।

जिला खेल संकुल को अजित दादा पवार ने दिया २५ करोड़ का निधि

विधायक संदीप क्षीरसागर ने व्यक्त किया आभार

बीड़, ६ अगस्त (प्रतिनिधि):

बीड़ जिले के खेल संकुल के लिए उपमुख्यमंत्री तथा बीड़ जिले के पालकमंत्री अजित दादा पवार ने २५ करोड़ रुपये की बड़ी राशि मंजूर की है। यह मंजूरी बुधवार, ६ अगस्त को हुई बैठक में दी गई। बीड़ विधानसभा क्षेत्र सहित जिले के खेल क्षेत्र को गति देने के लिए विधायक संदीप क्षीरसागर ने अजित दादा पवार का आभार व्यक्त किया है।

बीड़ शहर स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज जिला खेल संकुल में कई विकास कार्यों की आवश्यकता थी। इस संबंध में विधायक संदीप क्षीरसागर कई दिनों से लगातार प्रयास कर रहे थे। बीड़ विधानसभा क्षेत्र और जिले के विभिन्न खिलाड़ी यहां अभ्यास के लिए आते हैं, इसलिए उनके लिए गुणवत्ता युक्त सुविधाएं और आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता बेहद ज़रूरी है।

जिले का नाम खेल क्षेत्र में ऊँचा उठाने के लिए खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं देना आवश्यक है। इसी दृष्टिकोण से विधायक संदीप क्षीरसागर ने उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री अजित दादा पवार से कई दिनों से इस संदर्भ में अनुरोध किया था।

बीड़ में आयोजित बैठक में अजित दादा पवार ने जिला खेल संकुल के विकास कार्यों के प्रस्ताव को स्वीकृति दी और २५ करोड़ रुपये का भरपूर निधि प्रदान किया। इस निधि से छत्रपति शिवाजी महाराज जिला खेल संकुल में बड़े पैमाने पर विभिन्न विकास कार्य किए जाएंगे।

इस महत्त्वपूर्ण निधि के लिए विधायक संदीप क्षीरसागर ने उपमुख्यमंत्री अजित दादा पवार का आभार जताया है।

फडणवीस-शिंदे के बीच छुपे संघर्ष का नया अध्याय

एक ही पद पर दो स्वतंत्र वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति

जमीर काज़ी

मुंबई, ६ अगस्त :

महायुति सरकार के भारी बहुमत से सत्ता में लौटने के बाद से तीनों प्रमुख घटक दलों के बीच आंतरिक खींचतान बार-बार सामने आ रही है। पहले विभागों के बंटवारे, फिर पालक मंत्री पद को लेकर विवाद, उसके बाद फंड वितरण को लेकर मतभेद खुले तौर पर सामने आए। अब यह छुपा हुआ संघर्ष अधिकारियों के तबादले और नियुक्तियों तक पहुँच गया है। राज्य सरकार की ओर से एक ही पद के लिए दो अलग-अलग विभागों ने दो अलग-अलग अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार सौंपने के आदेश जारी किए हैं।

बेस्ट (इएडढ) के महाव्यवस्थापक पद के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सामान्य प्रशासन विभाग ने आशीष शर्मा की नियुक्ति की है, जबकि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नगर विकास विभाग ने अश्विनी जोशी की नियुक्ति की है।

खास बात यह है कि दोनों आदेश एक ही दिन जारी किए गए हैं, जिससे सरकार के भीतर की गड़बड़ी और फडणवीस-शिंदे के बीच का छुपा संघर्ष अब सार्वजनिक हो गया है। अब सवाल उठ रहा है कि बेस्ट के महाव्यवस्थापक की नियुक्ति का

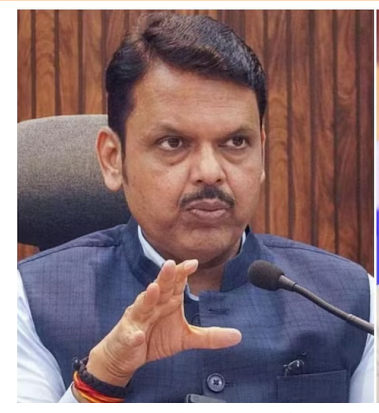

अधिकार वास्तव में किसका है?

महायुति सरकार में सबसे बड़ा घटक दल भाजपा, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी - इन तीनों के बीच टकराव अक्सर सतह पर आता रहा है।

मुख्यमंत्री फडणवीस और दोनों उपमुख्यमंत्री बार-बार यह दावा करते हैं कि हमारे बीच सामंजस्य और तालमेल है। लेकिन मंत्रियों के विरोधाभासी बयानों और कार्यों से बार-बार यह स्पष्ट होता है कि अंदरूनी मतभेद गहरे हैं।

अब जबकि एक ही पद के लिए दो नियुक्ति आदेश निकाले गए हैं - पहले सेवानिवृत्त बेस्ट महाव्यवस्थापक श्रीनिवास की जगह पर अतिरिक्त कार्यभार के लिए मुख्यमंत्री फडणवीस के विभाग ने आशीष शर्मा का आदेश निकाला, तो उसी दिन उपमुख्यमंत्री शिंदे के विभाग ने अश्विनी जोशी के लिए आदेश जारी किया।

इससे यह बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है कि आखिर अधिकार किसका है? इस दोहरे आदेश को लेकर विरोधियों ने सरकार की तीखी आलोचना की है।

सरकार क्या यह नया तमाशा शुरू कर रही है?

यह सवाल कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार और विधायक रोहित पवार ने उठाया। उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा कि दोनों अधिकारियों को साथ बैठाकर जिम्मेदारी का समान बंटवारा कर दिया जाए!

मुख्यमंत्री की सफाई, शिंदे का सवाल से बचना

एक ही पद का कार्यभार दो अलग-अलग अधिकारियों को सौंपने से यह उलझन पैदा हो गई है कि पदभार कौन ले?

मुख्यमंत्री फडणवीस ने यह कहकर मामले से पल्ला झाड़ा कि यह निर्णय मैं नहीं लेता, बल्कि यह महानगरपालिका (इचउ) लेती है। वहीं जब दिल्ली में एकनाथ शिंदे से इस मुद्दे पर सवाल किया गया तो उन्होंने इसे टालते हुए कहा, दिल्ली में आकर स्थानीय मुद्दे क्यों पूछते हो?

किसका आदेश माना जाए?

अब जबकि दोनों विभागों ने आदेश जारी कर दिए हैं, तो बेस्ट प्रशासन के सामने यह सवाल खड़ा हो गया है कि किसका आदेश लागू किया जाए?

क्योंकि बेस्ट संस्था नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे के अधीन आती है, वहीं राज्य के प्रमुख मुख्यमंत्री फडणवीस के सामान्य प्रशासन विभाग का भी उतना ही अधिकार है।

क्या फडणवीस-शिंदे के बीच छुपा संघर्ष है?

क्या मुख्यमंत्री ने यह निर्णय लेते समय एकनाथ शिंदे को विश्वास में नहीं लिया? अक्सर यह देखा गया है कि मुख्यमंत्री फडणवीस और उपमुख्यमंत्री शिंदे एक ही मंच पर एक साथ आने से कतराते हैं। अब यह घटना उसी छुपे संघर्ष की एक और कड़ी है - ऐसे सवाल अब सार्वजनिक रूप से उठने लगे हैं।

उर्दू दैनिक तामीर के २५ वे साल में क़दम रखने पर एक और पेशकश

अजित पवार की अपील के बाद कुरेशी समाज के संगठनों ने हड़ताल वापस ली

समाज के व्यापारियों और किसानों पर अन्याय नहीं होने देने का आश्वासन

जमीर काज़ी
मुंबई :

कुरेशी समाज परंपरागत रूप से मांस व्यापार से जुड़ा हुआ है और महाराष्ट्र की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था का एक अभिन्न हिस्सा है। इसलिए इस समाज के व्यापारियों और पशुओं की ढुलाई करने वाले किसानों पर अन्याय नहीं होने दिया जाएगा, ऐसा आश्वासन उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने बुधवार को दिया। उनके आश्वासन के बाद समाज के संगठनों द्वारा घोषित की गई हड़ताल वापस ले ली गई।

मंत्रालय में पवार समिति कक्ष में कुरेशी समाज के विभिन्न मुद्दों पर एक बैठक आयोजित की गई थी। इस अवसर पर अजित पवार ने केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से फोन पर चर्चा कर कुरेशी समाज को पशुओं की ढुलाई करते समय आने वाली कठिनाइयों की जानकारी दी। उन्होंने पशु परिवहन से संबंधित कानूनों में बदलाव को लेकर कुरेशी समाज के प्रतिनिधिमंडल से चर्चा कर निर्णय लेने का अनुरोध किया।

कुरेशी समाज के व्यापारियों और पशुओं की ढुलाई करने वाले किसानों को आ रही समस्याओं को हल करने के लिए सरकार प्रयासरत है। उनके साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने इस मौके पर कुरेशी समाज के प्रतिनिधियों से अपील की कि वे अपनी विभिन्न मांगों को लेकर की गई हड़ताल को वापस लें। इस पर संगठनों के प्रतिनिधियों ने सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए हड़ताल वापस लेने की घोषणा की।

इस बैठक में विधायक सना मलिक, विधायक संजय खोडके, पूर्व मंत्री नवाब मलिक, पुलिस महानिदेशक रश्मि शुक्ला, मुंबई पुलिस आयुक्त देवेन भारती, फेडरेशन ऑफ महाराष्ट्रीय मुस्लिम, मुंबई अमन समिति, अल-कुरेश सामाजिक विकास मंडल, ऑल इंडिया जमीअतुल कुरेश संगठन, समाजसेवी नबील जमा, ऑल महाराष्ट्र जमीअतुल कुरेश संगठन के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

लोढा और अदानी की इमारतों में ही आदर्श कबूतरखाना बनाया जाए-हर्षवर्धन सपकाळ

जमीर काज़ी
मुंबई :

मुंबई के दादर स्थित कबूतरखाने को लेकर विवाद शुरू हो गया है और मंत्री मंगलप्रभात लोढा इस मुद्दे में सक्रिय रूप से शामिल दिखाई दे रहे हैं। उनके पास मुंबई में बड़ी मात्रा में जमीनें और इमारतें हैं।

इसके अलावा सरकार ने अदानी को भी मुंबई की ३३% जमीन दी है। ऐसे में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ ने तंज कसते हुए कहा कि लोढा और अदानी को अपनी ही जमीन पर एक आदर्श कबूतरखाना बनाकर करुणा की एक नई मिसाल पेश करनी चाहिए।

कबूतरों के मुद्दे पर भाजपा-युति सरकार पर निशाना साधते हुए प्रदेशाध्यक्ष सपकाळ ने कहा कि कबूतरों की वजह से फेफड़ों के गंभीर रोग होने की बात सामने आने पर न्यायालय ने इन्हें हटाने के आदेश दिए हैं। लेकिन जैन समाज की ओर से यह मांग की जा रही है कि कबूतरखाने न हटाए जाएं। नागरिकों का स्वास्थ्य ज्यादा महत्वपूर्ण है और सरकार को इसकी चिंता करनी चाहिए। लेकिन सरकार जानबूझकर ऐसे विवादों को बढ़ावा दे रही है।

उन्होंने कहा कि राज्य में किसान संकट में हैं, युवाओं को नौकरियाँ नहीं मिल रही हैं, महंगाई चरम पर है और कानून-व्यवस्था की हालत गंभीर होती जा रही है - ऐसे में जनता का ध्यान भटकाने के लिए सरकार इस तरह के विवाद उछाल रही है।

सपकाळ ने आगे कहा कि, दादर के कबूतरखाने में जो आंदोलन हुआ, उसमें बाहरी लोग शामिल थे। लेकिन यह भी एक बनावटी बात है। राज्य में कहीं भी कुछ होता है तो सरकार हमेशा यही कहती है कि यह बाहरी लोगों ने करवाया। इस तरह के घिसे-पिटे जवाब देकर सरकार अपने असफलताओं को छुपाने की नाकाम कोशिश कर रही है।

डबल इंजिन सरकार या डबल गैंगवार?

बेस्ट प्रशासन का अतिरिक्त कार्यभार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अश्विनी जोशी को सौंपा, जबकि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उसी पद पर आशिष शर्मा की नियुक्ति कर दी। इस पर हर्षवर्धन सपकाळ ने कहा कि अधिकारियों की नियुक्तियों को लेकर फडणवीस और शिंदे के बीच गैंगवार शुरू है।

एक ही पद के लिए, एक ही दिन में, फडणवीस और शिंदे ने दो अलग-अलग अधिकारियों की नियुक्ति की है। मलाईदार पदों पर अपना आदमी बैठाने के लिए जारी यह संघर्ष आखिर सरकार है या कोई गिरोह युद्ध? यह सवाल अब जनता के मन में उठने लगा है, ऐसा बयान सपकाळ ने दिया।

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री तथा बीड़ के पालक मंत्री अजित दादा पवार का पत्रकारों की ओर से आज स्वागत समारोह

बीड़ प्रतिनिधि

बीड़ ज़िले के विकास कार्यों में महत्त्वपूर्ण योगदान देने के लिए महाराष्ट्र राज्य के उपमुख्यमंत्री और बीड़ ज़िले के पालक मंत्री अजित दादा पवार का आज गुरुवार, दिनांक ७ अगस्त २०२५ को बीड़ जिला पत्रकार संघ की ओर से स्वागत समारोह आयोजित किया गया है।

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री तथा बीड़ के पालकमंत्री अजित दादा पवार ने जब से बीड़ ज़िले की पालकमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली है, तब से कई अहम फैसले लिए हैं।

२ अप्रैल २०२५ को उन्होंने बीड़ में Center for Invention, Innovation, Incubation and Training (CIIIT) की स्थापना का निर्णय लिया। इससे पहले टाटा टेक्नोलॉजी ने १९१ करोड़ की लागत से दो सप्ताह में यह प्रकल्प शुरू करने की योजना पेश की थी, जिसमें हर साल लगभग ७,००० युवाओं को प्रशिक्षण देने की क्षमता रखी गई है। बीड़ एमआईडीसी औद्योगिक परिसर में ४,००० वर्ग मीटर भूमि की व्यवस्था की गई है और प्रकल्प के लिए निधि भी मंजूर की गई है।

इसके अलावा, बीड़ ज़िले में पहले बड़ी संख्या में जारी किए गए ३४० हथियार लाइसेंसों की पुनः जांच कर उन्हें रद्द करने का आदेश अजित दादा पवार ने दिया, जिससे आपराधिक प्रवृत्तियों पर अंकुश लगा।

बीड़ ज़िले की पुलिस व्यवस्था को मज़बूत करने के लिए १६ करोड़ रुपये का विशेष निधि भी स्वीकृत किया गया। परळी में पशुवैद्यकीय महाविद्यालय के लिए ५०० करोड़ रुपये की व्यवस्था भी अजित दादा ने की। १७ मार्च २०२५ को विधानसभा में एक प्रश्न के उत्तर में अजित दादा पवार ने बीड़ में एक आधुनिक हवाईअड्डा निर्माण की घोषणा की। इस हवाईअड्डे के लिए ज़रूरी ज़मीन अधिग्रहित करने के आदेश भी उन्होंने दिए। बीड़ ज़िला प्रशासन इस कार्य में तीव्र गति से कार्य कर रहा है।

इनके अलावा भी कई फैसले अजित दादा पवार ने लिए हैं, जिससे बीड़ ज़िला प्रशासन की छवि साफ़ और पारदर्शी बनाने में उनका बड़ा योगदान है।

इन सभी कार्यों को ध्यान में रखते हुए उनका आभार प्रकट करने के लिए पत्रकार संघ ने यह पहल की है। आज गुरुवार, ७ अगस्त को बीड़ शहर के नगर रोड स्थित तहसील कार्यालय के सामने होटल नीलकमल के सभागार में शाम ४ बजे यह स्वागत समारोह आयोजित हो रहा है।

इस कार्यक्रम में बीड़ ज़िले के सभी पत्रकारों से बड़ी संख्या में उपस्थित होने की अपील महाराष्ट्र राज्य मराठी पत्रकार संघ के प्रदेशाध्यक्ष वसंत मुंडे, पत्रकार संघ के बीड़ जिलाध्यक्ष संतोष मानूरकर, साथ ही वैभव स्वामी, बालाजी तोंडे,

महादेव मुंडे हत्याकांड: जानकारी देने वाले को मिलेगा इनाम, एसआईटी ने गोपनीयता की दी गारंटी

बीड, ६ अगस्त (प्रतिनिधि):

महादेव मुंडे हत्याकांड की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) ने एक बड़ा कदम उठाया है। इस मामले से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले नागरिक को नकद इनाम दिया जाएगा और उसका नाम पूरी तरह गोपनीय रखा जाएगा। इस बात की जानकारी एसआईटी प्रमुख आईपीएस पंकज कुमावत ने बुधवार सुबह दी।

एसआईटी इस हत्या की गुत्थी सुलझाने के लिए तेज़ी से जांच कर रही है, लेकिन अब तक कुछ ठोस सबूत और जानकारी नहीं मिल पाई है। इसलिए जन सहयोग की अपील करते हुए एसआईटी ने एक आधिकारिक प्रेस नोट जारी किया है। प्रेस नोट में कहा गया है कि - यदि किसी के पास इस मामले से जुड़ी कोई पक्की जानकारी है, तो वह तुरंत जांच दल से संपर्क करे। जानकारी देने वाले का नाम पूरी तरह गोपनीय रखा जाएगा और उसे इनाम भी दिया जाएगा।

इस हत्या के कारण पूरे परळी क्षेत्र समेत बीड ज़िले में सनसनी फैली हुई है। आमजन की यह उम्मीद है कि अपराधी जल्द से जल्द सलाखों के पीछे पहुंचें। एसआईटी इस मामले की जांच को गंभीरता और त्वरित गति से आगे बढ़ा रही है।

बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता आरती साठे की जज नियुक्ति की कॉलेजियम सिफारिश वापस लेनी चाहिए: रोहित पवार

मुंबई:

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार) के महासचिव और विधायक रोहित पवार ने आज मुंबई में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय न्यायपालिका की निष्पक्षता को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि किसी भी राजनीतिक दल के सक्रिय प्रवक्ता को हाईकोर्ट का जज बनाना लोकतंत्र पर सीधा हमला है, और इससे न्यायपालिका की निष्पक्षता पर गंभीर असर पड़ेगा।

उन्होंने कहा कि बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता आरती साठे को बॉम्बे हाईकोर्ट की न्यायाधीश नियुक्त करने की जो सिफारिश की गई है, वह न्यायपालिका को राजनीतिक अखाड़ा बनाने की कोशिश है। रोहित पवार ने सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम से यह सिफारिश तुरंत वापस लेने की मांग की।

रोहित पवार ने कहा कि आरती साठे बीजेपी की आधिकारिक प्रवक्ता रह चुकी हैं और उन्हें कई बार टीवी चैनलों पर बीजेपी का पक्ष आक्रामक तरीके से रखते हुए देखा गया है। अब यह दावा किया जा रहा है कि उन्होंने २०२४ में पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया, लेकिन न्यायिक नियुक्ति की प्रक्रिया कम से कम दो साल पहले शुरू होती है, और कॉलेजियम उसी आधार पर इंटरव्यू व मूल्यांकन करता है। अगर आरती साठे की नियुक्ति २०२५ में हो रही है, तो यह प्रक्रिया २०२३ में ही शुरू हुई होगी। ऐसे में उनकी निष्पक्षता पर सवाल उठना स्वाभाविक है।

उन्होंने सवाल उठाया - अगर हम सरकार के खिलाफ बोलते हैं, हमारे कार्यकर्ता बोलते हैं, और हमारी कोई याचिका उसी जज के सामने पेश होती है जो कभी सरकारी प्रवक्ता रहा हो, तो क्या हमें न्याय मिलेगा?

अगर मामला किसानों की आत्महत्या से जुड़ा हो या किसी आदिवासी मुद्दे से, तो क्या ऐसे राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति से निष्पक्ष फ़ैसले की अपेक्षा की जा सकती है?उन्होंने कहा कि इन तमाम आशंकाओं के चलते लोगों का न्यायपालिका पर से विश्वास डगमगाता है।

उन्होंने आगे कहा कि जब किसी वकील को जज के रूप में चुना जाता है, तो उससे पूछा जाता है कि उसने किन राजनीतिक दलों के लिए मुकदमे लड़े हैं। यदि उसने किसी एक विशेष पार्टी का पक्ष लिया हो, तो उसकी उम्मीदवारी को खारिज कर दिया जाता है। लेकिन आरती साठे की नियुक्ति इन न्यायिक मानकों का उल्लंघन है।

उन्होंने पुणे के वकील सरवडे का भी ज़िक्र किया, जो इस इंटरव्यू प्रक्रिया का हिस्सा थे, और उन्होंने कहा कि वे इस पर बेहतर प्रकाश डाल सकते हैं कि कॉलेजियम ने किन आधारों पर आरती साठे को चुना। उन्होंने सरकार और मुख्य न्यायाधीश से अपील की कि आरती साठे का नाम न्यायिक सूची से हटाया जाए।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में थाणे के 'शांति दूत' हाउसिंग प्रोजेक्ट के घोटाले का भी ज़िक्र

रोहित पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में थाणे में चल रहे 'शांति दूत' हाउसिंग प्रोजेक्ट घोटाले को भी उजागर किया। उन्होंने आरोप लगाया कि डेवेलपर श्रीकांत शितोले ने गरीब नागरिकों से तीन साल में मकान देने का वादा करके करोड़ों रुपये वसूले, लेकिन १४ साल बीत जाने के बावजूद फ्लैट नहीं दिए गए।

डेवेलपर ने उस ज़मीन को बैंक में गिरवी रखकर ३९८ करोड़ रुपये का कर्ज लिया, साथ ही आम जनता से एडवांस बुकिंग के रूप में १५० करोड़ रुपये भी इकट्ठा किए। इस प्रकार कुल घोटाले की राशि ४६८ करोड़ रुपये तक पहुँचती है।रोहित पवार ने सवाल किया कि जब खुद गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पुलिस कमिश्नर को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, तो अब तक थाणे पुलिस ने डेवेलपर के खिलाफ कोई कदम क्यों नहीं उठाया?अगर पुलिस विपक्ष की बात न सुने तो समझ आता है, लेकिन अगर गृहमंत्री के आदेश की भी अनदेखी की जाए तो यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है।

उन्होंने कहा कि रेरा कानून ऐसे मामलों को रोकने के लिए ही लाया गया था, लेकिन यदि इसके बावजूद आम आदमी को धोखा दिया जा रहा है तो वह न्याय के लिए कहां जाए?

अजितदादा पेड़ लगा रहे हैं, लेकिन बाड़ ही खेत को खा रही है - डॉ.गणेश धवले का वन विभाग और सा मिल चालकों पर गंभीर आरोप

बीड, ६ अगस्त (प्रतिनिधि):

बीड जिले में पर्यावरण संरक्षण के लिए 'हरित बीड अभियान' के तहत पालक मंत्री अजित पवार की मौजूदगी में गुरुवार, ७ अगस्त को ३० लाख पेड़ एक ही दिन में लगाने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही एक वर्ष में १ करोड़ वृक्षारोपण का संकल्प जिला प्रशासन ने लिया है। लेकिन सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. गणेश धवले का आरोप है कि जिले में अवैध रूप से पेड़ों की कटाई लगातार हो रही है और इसमें वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी तथा सा मिल चालक मिलीभगत से काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब बाड़ ही खेत को खाने लगे, तो संरक्षण की उम्मीद कैसे की जा सकती है।

डॉ. धवले ने कहा कि बीड जिले में वन क्षेत्र ३३% होना चाहिए, लेकिन पिछले ५-६ वर्षों से यह घटकर केवल २.५% रह गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि जहां एक तरफ अजितदादा पेड़ लगाने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर वन विभाग के लोग पेड़ों की अवैध कटाई पर आंखें मूंदे बैठे हैं। इसलिए अजित पवार को चाहिए कि वे वन विभाग के अधिकारियों को फटकारें और सा मिलों की नियमित जांच एवं कड़ी कार्रवाई के निर्देश दें।

नियमों का उल्लंघन, फिर भी कार्रवाई नहीं - डॉ. गणेश धवले

वन विभाग की ओर से आरा मिल (सा मिल) संचालन के लिए लाइसेंस दिए जाते हैं, जो कई शर्तों के अधीन होते हैं। हर सा मिल पर एक कर्मचारी नियुक्त किया जाता है जो समय-समय पर निरीक्षण कर आवश्यक दिशा-निर्देश देता है। मिल में रखे गए गोल लकड़ी, चिराई की हुई लकड़ी, और अनुपयोगी लकड़ी को निर्धारित तरीके से संग्रहित करना अनिवार्य है। लेकिन इन नियमों का खुलेआम उल्लंघन होता है और वन विभाग के कर्मचारियों की मिलीभगत के कारण कोई कार्रवाई नहीं होती।

सा मिल चालकों और वन विभाग की मिलीभगत का आरोप

सा मिल में लाई गई लकड़ी का वन पास के माध्यम से परिवहन होना अनिवार्य है। साथ ही नकद रसीद और कर भुगतान की पावती के बिना लकड़ी स्वीकार नहीं की जा सकती - यह स्पष्ट नियम है। अगर कोई अनियमितता पाई जाती है, तो उसकी जानकारी तुरंत संबंधित वन रक्षक या अधिकारी को देना जरूरी होता है। लेकिन वन विभाग नियमित निरीक्षण ही नहीं करता, जिससे नियमों की धज्जियां उड़ाई जाती हैं।

सा मिल चालक नियमों को नजरअंदाज करते हैं

महाराष्ट्र सरकार के राजपत्र के नियमों के अनुसार, सा मिल परिसर में लकड़ी को सही प्रकार से संग्रहित करना अनिवार्य है - जैसे कि गोल लकड़ी, चिराई हुई लकड़ी और अनुपयोगी लकड़ी को एक व्यवस्थित परिसर में, उचित गेट और बाड़ के साथ रखना चाहिए। इसके अलावा इन सामग्रियों को निरीक्षण में सहूलियत हो, इस तरह से रखना चाहिए। लेकिन सा मिल चालक इन नियमों को ताक पर रखकर मनमानी करते हैं।

डॉ. गणेश धवले ने जोर देते हुए कहा कि अगर सच में हरित बीड का सपना साकार करना है, तो वन विभाग में फैली भ्रष्ट व्यवस्था को खत्म करना होगा और अवैध लकड़ी तस्करी में शामिल लोगों पर कठोर कार्रवाई करनी होगी।

दैनिक भारत की तामीर अखबार के मालिक, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक काजी मखदूम शफीउद्दीन ने आरएम प्रिंटरर्स, बार्शी रोड, बीड 431122 महाराष्ट्र में मुद्रित कर के दैनिक तामीर, नगर परिषद परिसर, बशीर गंज, बीड, महाराष्ट्र कार्यालय से प्रकाशित किया है। मोबाइल : 9270574444 ईमेल : hinditameer@gmail.com वेबसाइट : www.dailytameer.com

daily Bharat ki tameer newspaper owner printer publisher editor Quazi makhdoom shafiuddin has printed at RM printers barshi road beed 431122 Maharashtra at published at office daily tameer nagar parishad complex Bashir gunj beed Maharashtra. Mobile : 9270574444 Email : hinditameer@gmail.com Website : www.dailytameer.com